अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उदयमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत करता है। शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कम्पनी की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51*प्रतिशत* केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो सरकारी कम्पनी की सहायक है।

सरकारी कम्पनियां

एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 *प्रतिशत* केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार(रों) द्वारा धारित है तथा इसमें सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी सम्मिलित होती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या केंद्रीय सरकार द्वारा आशिंक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आशिंक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

[1] *गजट अधिसूचना दिनांक 4 सितंबर 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया कंपनियों का (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश 2014*

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने डीपीई द्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण में बताया (दिसंबर 2018) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई वह सरकारी कम्पनियाँ है; जिनमें 50 *प्रतिशत* से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित था। इन कम्पनियों की सहायक कम्पनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसई के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कम्पनियाँ शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) एंव डीपीई द्वारा अंगीकृत परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई मानी गई कम्पनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की मात्र सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2017-18 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है।

लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2017-18 (अथवा पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन कार्पोरेट अभिशासन पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसई द्वारा पालन, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के पालन तथा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों, केंद्रीय सरकार तथा सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के विश्लेषण, तथा सीपीएसई में विनिवेश, सीपीएसई द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय तथा सीपीएसई की वित्तीय स्थिति पर भारतीय लेखाकरण मानक (इंड-एएस) के कार्यान्वयन के प्रभाव की स्थिति का पूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है।

1.1.3 सीपीएसई तथा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की संख्या

31 मार्च 2018 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 644 सीपीएसई थे। इनमें 450 सरकारी कंपनियां, 06 सांविधिक निगम[2] तथा 188 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां शामिल थी। इनमें से, 585 सीपीएसई का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई की प्रवृत्ति निम्नलिखित तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

सरकारी कंपनियां	**450**
सांविधिक निगम	**6**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	**188**
कुल सीपीएसई	**644**

[2] *भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।*

तालिका 1.1: इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई का कार्यक्षेत्र तथा स्वरूप

सीपीएसई की प्रवृत्ति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई की संख्या				इस प्रतिवेदन में कवर नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		2017-18 तक के लेखे	निम्न तक लेखे		कुल	
			2016-17	2015-16		
सरकारी कम्पनियां	450	385	24	5	414	36
सांविधिक निगम	6	6	0	0	6	0
कम्पनियों/निगमों की कुल संख्या	456	391	24	5	420	36
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियां	188	155	9	1	165	23
जोड़	**644**	**546**	**33**	**6**	**585**	**59**

2017-18 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आयी/बाहर चली गई, सरकारी कम्पनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के विवरण ***परिशिष्ट I*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 59 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं किए गए थे या बकाया नहीं थे। इन सीपीएसई को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II ए** तथा **परिशिष्ट II बी** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई के वित्तीय निष्पादन का सार (सरकारी कम्पनियां तथा सांविधिक निगम)	
सीपीएसई की संख्या	**456**
कवर किए गए सीपीएसई	**420**
प्रदत्त पूंजी (420 सीपीएसई)[3]	**₹ 4,92,572 करोड़**
दीर्घावधि ऋण (420 सीपीएसई)	**₹ 13,35,640 करोड़**
बाजार पूंजीकरण (47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां)	**₹ 14,42,216 करोड़**
निवल लाभ (231 सीपीएसई)	**₹ 1,66, 197 करोड़**

[3] *आईडब्ल्यूएआई की कॉर्पस/पूंजी को जहाजरानी तथा नौ-परिवहन के उद्देश्य हेतु अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन और विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 के अनुसार स्थापित किया गया है और इससे जुड़ें या इसके अतिरिक्त प्रासंगिक मामलों हेतु, आईडब्ल्यूएआई फंड शामिल है अन्य बातों के साथ-साथ जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों तथा ऋणों और प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क तथा प्रभार शामिल है। यह फंड अधिकारियों के वेतन संबंधी व्यय सहित इसके कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के व्ययों को पूरा करने के लिए लागू किया जाता है। 31 मार्च 2018 तक आईडब्ल्यूएआई फंड में ₹ 998.30 करोड़ की राशि थी। प्रदत्त पूंजी/इक्विटी के रूप में इस राशि को नहीं माना गया था।*

निवल हानि (158 सीपीएसई)	**₹ 41,420 करोड़**
शून्य लाभ/हानि (31 सीपीएसई)[4]	
घोषित लाभांश (101 सीपीएसई)	**₹ 70,562 करोड़**
कुल परिसंपत्तियां (420 सीपीएसई)	**₹ 46,01,008 करोड़**
उत्पादन का मूल्य (420 सीपीएसई)	**₹ 19,25,676 करोड़**
निवल सम्पत्ति (420 सीपीएसई)	**₹ 15,98,160 करोड़**

1.2 सरकारी कंपनियों एवं निगमों में निवेश

31 मार्च 2018 के अंत में 420[5] सरकारी कंपनियों तथा निगमों में इक्विटी निवेश और ऋण की राशि निम्नलिखित तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी निवेश तथा ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31 मार्च 2018 तक			31 मार्च 2017 तक		
	इक्विटी	दीर्घावधिऋण	जोड़	इक्विटी	दीर्घावधिऋण	जोड़
1. केन्द्र सरकार	357064	88479	445543	322026	82501	404527
2. केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	55354	28483	83837	49062	25294	74356
3. राज्य सरकारों/राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कम्पनियां/निगम	29424	16327	45751	26547	11411	37958
4. वित्तीय संस्थाएँ और अन्य	50730	1202351	1253081	33802	1081951	1115753
जोड़	**492572**	**1335640**	**1828212**	**431437**	**1201157**	**1632594**
कुल निवेश मेंकेन्द्र सरकार के निवेश की प्रतिशतता	72.49	6.62	24.37	74.64	6.87	24.78

[4] *420 में से, 29 सीपीएसई थे, जिन्होंने 2017-18 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई हानि नहीं उठाई क्योंकि या तो परिचालन प्रारंभ नहीं किये गए थे या हानि/निवल व्यय फंड या परियोजना लागत में समायोजित किए गए थे। आईडब्ल्यूएआई के मामले में, आईडब्ल्यूएआई फंड के साथ ₹ 197.92 करोड़ की निवल हानि को समायोजित किये गया था जबकि एनएचएआई अधिनियम, 1988 के अनुसार स्थापित एनएचएआई के मामले में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु और इससे जुड़े या आकस्मिक मामलों हेतु, ₹ 392.26 करोड़ की निवल हानि को इसकी नियत परिसंपत्तियों के साथ समायोजित किया गया था1 इसलिए आईडब्ल्यूएआई और एनएचएआई को 29 सीपीएसई के अतिरिक्त कोई लाभ कोई हानि नहीं वाले सीपीएसई के रूप में माना गया है।*

[5] *456 सीपीएसई-36 सीपीएसई जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमापन के तहत थे प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

1.2.1 इक्विटी में निवेश

2017-18 के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल 420 सीपीएसई की इक्विटी के अंकित मूल्य में कुल निवेश में ₹ 61,135 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई है। सीपीएसई में अंकित मूल्य पर केन्द्र सरकार के स्वामित्व की इक्विटी में ₹ 35,038 करोड़[6] की वृद्धि हुई। 47 सीपीएसई में ₹ 37,472 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयर जारी करने और 27 सीपीएसई में ₹ 2,434 करोड़ के अंकित मूल्य के शेयरों के विनिवेश का निवल परिणाम ₹ 35,038 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 37,472 करोड़ के इक्विटी निवेश में ₹ 8,139 करोड़ का नया निवेश बोनस शेयर जारी करने के रूप में और इक्विटी में ऋण के संपरिवर्तन के रूप में संबंधित था जिसमें सीपीएसई को नकद प्रवाह शामिल नहीं था और ₹ 273 करोड़ का नया निवेश, बोनस शेयर, शेयरों की पुन: खरीद का प्रस्ताव विक्रय का प्रस्ताव (ओएफएस) और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) जारी करने का निवल परिणाम था। सीपीएसई में नगद प्रवाह सहित ₹ 29,060 करोड़ की इक्विटी के अतिरिक्त निवेश के उद्देश्य की समीक्षा लेखापरीक्षा में दर्शाया गया कि 32 सीपीएसई में व्यय पूंजीगत वस्तुओं को पूरा करने के लिए यह निवेश किया गया था।

31 मार्च 2018 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार तथा अन्य द्वारा सरकारी कंपनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश चार्ट । में दर्शाया गया है।

---

[6] *एयर इंडिया लिमिटेड. सहित 29 सीपीएसई के अनंतिम आंकडे इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में अपने अंतिम लेखापरीक्षित खातों के आंकडों के आधार पर शामिल किए गए हैं क्योंकि 2017-18 के खातों के लिए 30 सितम्बर 2018 की अंतिम तारीख से पहले प्रतिवेदन तैयार करने के लिए प्राप्त नहीं हुए थे। इसलिए, वर्ष 2017-18 के दौरान एयर इंडिया लिमिटेड. में केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 1,937 करोड़ इक्विटी संचार, ₹ 37,472 करोड़ के कुल इक्विटी संचार में शामिल किया गया था।*

चार्ट I: सरकारी कंपनियों तथा निगमों की इक्विटी में निवेश

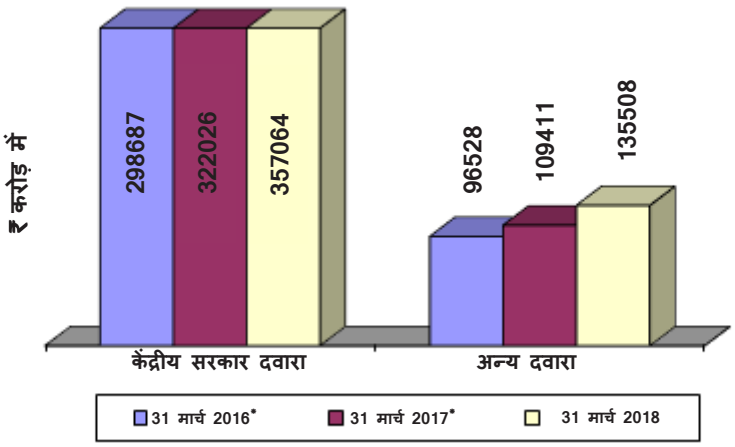

*(*पिछले वर्षों के आंकड़े 2017-18 के दौरान अद्यतित किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश (₹ 2,000 करोड़ से अधिक के निवेश) के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका 1.3 में दिए गए हैं:

तालिका 1.3: केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग	24185
सरकारी कंपनियां		
हिन्दुस्तान केबलस लिमिटेड[7]	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम	4447
इंडियनऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड[8]	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	2749

1.2.2 सरकारी कंपनियों तथा निगमों को दिए गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2018 तक बकाया दीर्घावधि ऋणों कीसंगणना

31 मार्च 2018 को सभी स्रोतों से 420 सीपीएसई में बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 13,35,640 करोड़ थी। 2017-18 के दौरान, सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों में ₹ 1,34,483 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2018 को

[7] *ऋण का संपरिवर्तन*

[8] *बोनस शेयर जारी करना*

सीपीएसई के कुल ऋणों में से केंद्र सरकार के ऋण ₹ 88,479 करोड़ थे। 17 सीपीएसई ने केन्द्र सरकार से प्राप्त ₹ 3,477 करोड़ राशि के ऋण के भुगतान में चूक की। सरकारी कंपनियों तथा निगमों में दीर्घावधि ऋणों के वर्षवार ब्योंरो को चार्ट II में दर्शाया गया है।

चार्ट II: सरकारी कंपनियों तथा निगमों में बकाया दीर्घावधि ऋण

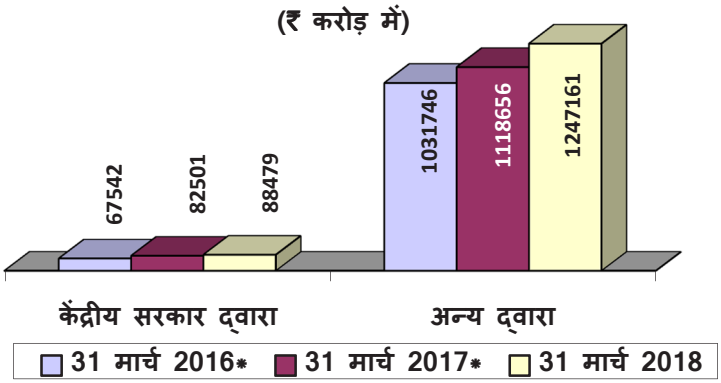

(*पिछले साल के आंकड़े 2017-18 के दौरान अद्यतित किए गए जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

31 मार्च 2018 तक 420 सीपीएसई में से 248 सीपीएसई (एक सावंधिक निगम सहित अर्थात् सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन) थी जिसमें कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को देने के लिए संपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों से कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है कि क्या कोई कंपनी ऋण चुका सकती है या नहीं। ऋण चुकाने में सक्षम उसे माना जाए जिस सत्व की परिसंपत्तियों का मूल्य उसके ऋणों/कर्जो के कुल योग से ज्यादा है। 172 सीपीएसई में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य से दीर्घकालिक ऋण का कवरेज जिन पर 31 मार्च 2018 तक ऋण बकाया था, को तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: दीर्घावधि ऋणों के साथ कुल परिसंपत्तियों का कवरेज

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-सम्पतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसई की सं.	दीर्घावधि ऋण	परि-संपतियां	ऋणों से परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सांविधिक निगम	5	154404	635313	411.46				
सूचीबद्ध कंपनियां	38	765967	2101735	274.39	1	238	91	38.24
असूचीबद्ध कंपनियां	114	411155	989661	240.70	14	3877	1024	26.41
कुल	**157**	**1331526**	**3726709**		**15**	**4115**	**1115**	

172 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई के संबंध में ***(परिशिष्ट-III)*** कुल परिसंपत्तियों के मूल्य बकाया ऋणों से कम था।

1.2.2.3 ब्याज कवरेज

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कंपनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती हैं तथा उसी अवधि के ब्याज के व्ययों को ब्याज तथा कर से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके संगणना की जाती है। जितना कम अनुपात होगा उतनी ही कम कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान की योग्यता होगी। एक से नीचे कवरेज अनुपात दर्शाता है कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही थी। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान सीपीएसई के धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का ब्यौरा तालिका 1.5 में दिया गया हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पूर्व आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की सं.	1 से अधिक अथवा समान ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की सं.	1से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2015-16	11421.23	13746.39	4	2	2
2016-17	10162.66	13388.46	5	2	3
2017-18	11833.26	14812.69	5	2	3
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2015-16	55864.28	131511.6	38	28	10
2016-17	60935.43	159564.8	38	28	10
2017-18	63844.46	179678.4	39	29	10
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2015-16	14239.61	24475.41	129	58	71
2016-17	16362.45	30413.05	123	61	62
2017-18	21073.92	22636.98	128	59	69

यह देखा गया था कि 2017-18 केदौरान सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों के मामले में एक से अधिक अथवा समान ब्याज कवरेज अनुपात वाले सीपीएसई की संख्या में आंशिक रूप से अभिवृद्धि हुई थी। 9[9] सीपीएसई के संबंध में, 31 मार्च 2018 को ऋणों पर देय ब्याज उनकी कुल परिसपत्तियों के मूल्य से अधिक था जो इन कंपनियों के दिवालिया होने के उच्च ज़ोखिम को दर्शाता है।

1.2.2.4 केन्द्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का काल-वार विश्लेषण

31 मार्च 2018 तक, केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए 18 सीपीएसई के दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 3881.44 करोड़ की राशि का ब्याज बकाया था। सीपीएसई मे केन्द्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का काल-वार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

[9] *अंडमान मत्स्य पालन लिमिटेड, अंडमान एण्ड निकोबार द्वीप, वन और वृक्षारोपण विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत गोल्ड माइनस लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटोफील्मस् (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयलस कार्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, टीसीआईएल बिना टोल रोड़ लिमिटेड,टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड।*

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम समय के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	1 से 3 वर्ष के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए बकाया केंद्र सरकार के ऋण पर ब्याज
1	भारत गोल्डमाइंस लिमिटेड	901.52	38.50	115.51	747.51
2	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	548.08	54.58	109.16	384.34
3	द फर्टीलाईजर एंड कैमीकल त्रावणकोर लिमिटेड	451.08	239.01	212.07	-
4	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	443.83	46.83	93.67	303.33
5	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	409.64	16.99	33.97	358.68
6	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	359.84	0.84	4.74	354.26
7	एचएमटी मशीनस टूल्स लिमिटेड	165.02	-	106.94	58.08
8	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	135.98	135.98	-	-
9	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	-	-	123.85
10	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	42.12	-	4.95	37.17
11	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	82.71	9.22	17.40	56.09
12	एनईपीएलि	82.51	22.13	39	21.38

13	एनएचपीसी लिमिटेड	33.92	33.92	-	-
14	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	27.62	9.21	15.33	3.08
15	हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड	23.57	4.70	12.37	6.50
16	भारत पंप एंड कम्प्रेसर लिमिटेड	18.99	15.06	3.93	-
17	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	15.62	3.50	9.75	2.37
18	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	15.54	2.30	4.72	8.52
	कुल	**3881.44**	**632.77**	**783.51**	**2465.16**

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों और निगमों द्वारा 165[10] सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेशित पूंजी चार्ट III में दर्शाई गई है:

चार्ट III: सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

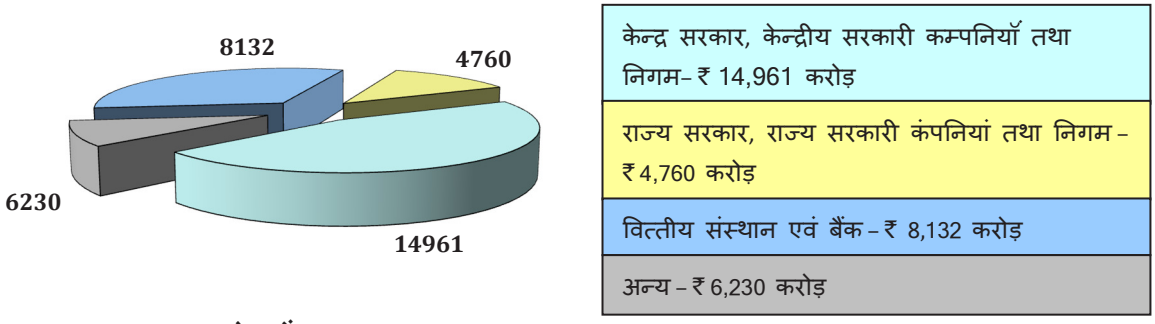

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2018 को इन सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹ 34,083 करोड़ थी। सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी 2017-18 में ₹ 125 करोड़ तक बढ़ गई थी।

[10] *188-23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमापन के तहत थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य को प्रस्तुत करता है जिनके शेयर सूचीबद्ध है। 31 मार्च 2018 तक 66 सरकारी कंपनियां, जिनमें 53 सरकारी कंपनियां सहित 07[11] नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों सहित, सरकारी कंपनियों की 06 सहायक सरकारी कंपनियां और 07[12] सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध थे।

46 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, (53-7 नई सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां) 2017-18 के दौरान 43 कम्पनियों के शेयरों का व्यापार हुआ था और 3[13] कंपनियों के शेयरों का व्यापार नहीं हुआ था। सरकारी कम्पनियों की 06[14] सहायक कम्पनियों के संबंध में 05 के शेयरों का व्यापार किया गया था और वर्ष के दौरान ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के शेयरों का व्यापार नहीं किया गया था।

31 मार्च 2017 को ₹ 15,12,614 करोड़ की तुलना में 47[15] सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2018 को ₹ 14,42,216 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹ 79,999 करोड़) था। 31 मार्च 2017 की तुलना में 31 मार्च 2018 तक शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 70,398 करोड़ (4.65 *प्रतिशत)* तक घट गया था। अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले क्षेत्र प्रट्रोलियम (₹ 6,59,144 करोड़), पावर (₹ 2,82,813 करोड़), कोल एण्ड लिग्नाइट (₹ 1,88,797 करोड़) थे। शेयरों के बाजार मूल्य में उच्चतम वृद्धि परिवहन सेवा क्षेत्र परिवहन सेवा क्षेत्र (15.51 *प्रतिशत*), इस्पात क्षेत्र (14.71 *प्रतिशत*) और निर्माण सेवा क्षेत्र (10.60 *प्रतिशत*) में देखी गई तथा

---

[11] *(1) भारत डायनैमिक लिमिटेड, (2) कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, (3) जनरल इंश्योरेंश कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, (4) हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, (5) हाऊसिंग एंड अर्बन डिवेलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (6) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और (7) न्यू इंडिया एशयोरेंश कंपनी लिमिटेड।*

[12] *(1) इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, (2) इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, (3) पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (4) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, (5) उड़ीसा खनिज विकास कंपनी लिमिटेड, (6) तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड, (7) भारतीय पर्यटन वित्त निगम लिमिटेड।*

[13] *2017-18 के दौरान (1) हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (2) हिन्दुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड (3) इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर विक्रय नहीं किए गए थे।*

[14] *एचपीसीएल में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 2017-18 के दौरान पूरी तरह से ओएनजीसी को हस्तांतरित हो गई। यह कंपनी अब एक सहायक कंपनी है।*

[15] *बीएसई में 2017-18 के दौरान केआईओसीएल के शेयर विक्रय किए गए थे परंतु 2016-17 में नहीं किए गए थे। इसलिए, कंपनी के लिए बाजार पूंजीकरण आंकड़े चालू वर्ष और पिछले वर्ष के बीच तुलना हेतु शामिल नहीं किए गए थे।*

शेयरों के बाजार मूल्यों में उच्चतम गिरावट वित्तीय सेवा क्षेत्र (32.52 *प्रतिशत*), भारी उद्योग क्षेत्र (25.14 *प्रतिशत*) और दूरसंचार सेवाएं (21.46 *प्रतिशत*) में देखी गई। 31 मार्च 2018 तक 42 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (05 सहायक कम्पनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹ 13,63,194 करोड़ पर स्थिर था जिनमें से केंद्र सरकार द्वारा धारित शेयरों के बाजार मूल्य की राशि ₹ 8,84,978 करोड़ थी।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स[16] 31 मार्च 2017 को 29,620.50 से 11.3 *प्रतिशत* बढ़कर 31 मार्च 2018 को 32,968.68 हो गया। एस एंड पी बीएसई-सीपीएसई इन्डैक्स[17] 31 मार्च 2017 को 1,657.00 से 31 मार्च 2018 को 1591.37 से 3.96 *प्रतिशत* घट गया था।

इन 47 सक्रिय सूचीबद्ध सीपीएसई की बाजार पूंजीगत की पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रवृत्तियां एस एवं पी बीएसई सैसेक्स और एस एंव पी बीएसई - सीपीएसई इंडेक्स के प्रतिरूप चार्ट IV में चित्रित है।

चार्ट IV: बीएसई सैसेक्स और सीपीएसई इंडेक्स के प्रतिरूप बाजार पूंजीगत की प्रवृत्ति

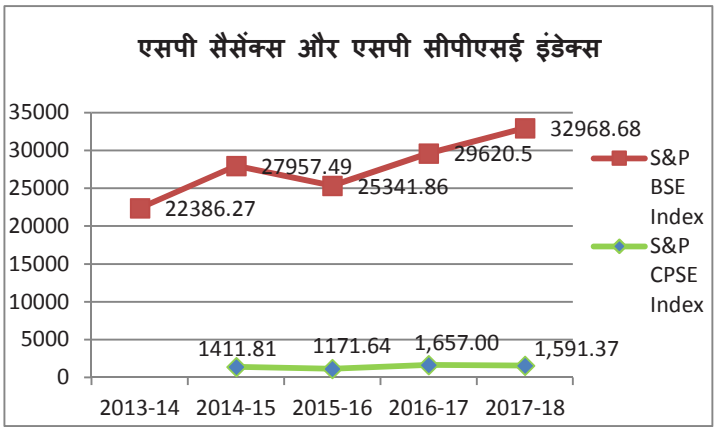

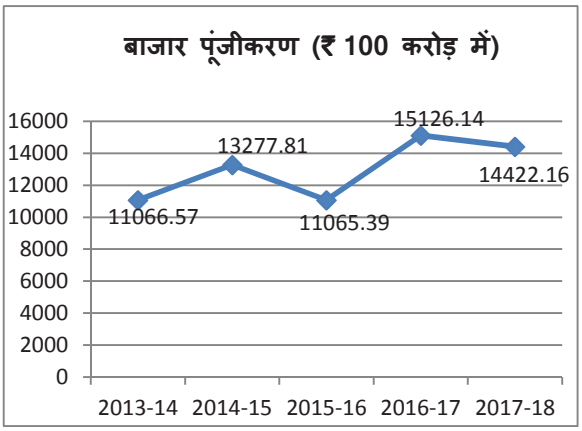

यह देखा गया कि 47 सक्रिय सूचीबद्ध सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण की प्रवृततियां 2013-14 से 2016-17 तक समरूप थी जब उनकी एसपी बीएसई सैसेंक्स और एसपी सीपीएसई इंडेक्स से ही गई। हालांकि 2017-18 में इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 4.65 प्रतिशत (₹ 15,12,614 करोड़ से ₹ 14,42,216 करोड़ तक) घट गया जबकि

---

[16] *एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स की गणना मुख्य भागों में बड़े सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप से सुदृढ़ 30 घटक स्टॉक दर्शाते हुए बाजार पूंजीकरण भारित पद्धति पर की जाती है।*

[17] *एस एंड पी बीएसई सीपीएसई इन्डेक्स में बीएसई में सूचीबद्ध मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शामिल होते हैं।*

एसपी बीएसई सैंसेक्स 11.3 *प्रतिशत* बढ़ा (29,620.50 से 32,968.68 तक) यद्यपि उसी अवधि के दौरान एसपी बीएसई-सीपीएसई इंडेक्स 3.96 *प्रतिशत* घटा (1657.00 से 1591.37 तक)।

31 मार्च 2018 तक 05 सहायक सरकारी कम्पनियों के शेयरों का बाज़ार मूल्य जिन, शेयरों का व्यापार 2017-18 के दौरान हुआ था, ₹ 79,022 करोड़ पर स्थिर रहा था। 31 मार्च 2017 की तुलना में 31 मार्च 2018 तक पाँच सरकारी सहायक कम्पनियों में सरकारी कम्पनियों द्वारा धारित शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹ 1,169 करोड़ तक घट गया था। 31 मार्च 2018 को अधिकतम बाजार पूंजीकरण वाले शीर्ष 10 सीपीएसई तालिका 1.7 में दिए गए हैं:

तालिका 1.7: उच्चतम बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	बाजार पूंजीकरण
1	ऑयल एंड नैचूरल गैस निगम लिमिटेड	2,28,175
2	कोल इंडिया लिमिटेड	1,75,980
3	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,71,219
4	एनटीपीसी लिमिटेड	1,39,925
5	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,01,414
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	92,833
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	74,101
8	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	52,442
9	एनएमडीसी लिमिटेड	37,539
10	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	34,611

31 मार्च 2018 को 47 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से 15 सीपीएसई[18] के संबंध में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई थी। बाजार पूंजीकरण में ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की वृद्धि वाले सीपीएसई तालिका 1.8 में दिए गए हैः

[18] *एण्ड्रयु एण्ड यूल कंपनी लिमिटेड, बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमैंट कंपनी लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, गेल (इंडिया) लिमिटेड, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आई टी आई लिमिटेड, एमआईएल लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड।*

तालिका 1.8: ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2017 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2018 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	गेल (इंडिया) लिमिटेड	63,669	74,101	10,432
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	24,782	30,313	5,531
3	आईटीआई लिमिटेड	3,979	8,595	4,616
4	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	25,278	28,996	3,718
5	एनटीपीसी लिमिटेड	1,36,833	1,39,925	3,092
6	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	15,489	17,131	1,642

डीआईपीएएम द्वारा मई 2016 में जारी दिशानिर्देशों में परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई जहां इसके शेयर की बाजार मूल्य या बुक मूल्य इसके अंकित मूल्य से 50 गुणा अधिक हों, को उचित रूप से अपने शेयरों को विभाजित करना चाहिए बशर्ते कि शेयर का इसका मौजूदा अंकित मूल्य ₹ 1 के बराबर या अधिक हो। तथापि, तालिका 1.9 में दिए गए सीपीएसई ने इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया (30 सितम्बर 2018)।

तालिका 1.9: शेयरों दिशानिर्देशों के विभाजनका पालन न करने वाले सीपीएसई

सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2018 तक अंकित मूल्य (₹)	31 मार्च 2018 तक बाजार मूल्य (₹)	31 मार्च 2018 तक बुक मूल्य (₹)	50 गुणा अंकित मूल्य (₹)	अधिक बाजार मूल्य (₹)
बीईएमएल लिमिटेड	10	1044.15	514.22	500	544.15
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	581.60	551.47	500	81.60

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या 2016-17 में 215 (37 सीपीएसई जोड़ी गई और 21 सीपीएसई हटाई गई) की तुलना में 2017-18 में 231 थी। अर्जित लाभ 2016-17 में ₹ 1,59,006 करोड़ से 2017-18 में ₹1,66,197 करोड़ बढ़ गया था। हालांकि 2016-17 में 215 सीपीएसई में 13.82 *प्रतिशत* की तुलना में 2017-18 में 231 सीपीएसई का इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 13.16 *प्रतिशत* था। सभी 420 सीपीएसई में इक्विटी पर

प्रतिफल अर्थात् 2017-18 में 158 हानि उठाने वाली और 31 शून्य लाभ वाली कंपनियों को सम्मिलित करते हुए 7.77 *प्रतिशत* था।

2015-16 से 2017-18 के दौरान लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या चार्ट-IV में दर्शाई गई हैं:

चार्ट V: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या

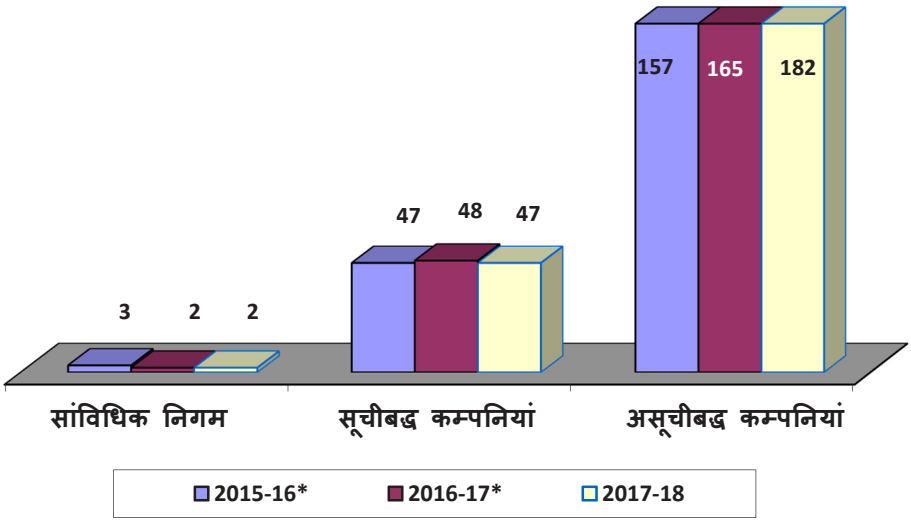

(*2017-18 के दौरान पिछले वर्षों के आंकड़ों को अद्यतित किया गया था जब उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)

वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्रों का ब्यौरा नीचे तालिका 1.10 में सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.10: वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम लाभ देने वाले शीर्ष 3 क्षेत्र

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ से लाभ की प्रतिशतता
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	65993	39.71
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	3291	1.98
उप-जोड़ (ए)	15	69284	41.69
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	22573	13.58
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	27	5774	3.47

उप-जोड़ (बी)	31	28347	17.06
कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	11142	6.70
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	10606	6.38
उप-जोड़ (सी)	6	21748	13.09
जोड़ (ए+बी+सी)	**52**	**119379**	**71.83**

2016-17 के दौरान 49 सीपीएसई द्वारा 74.38 *प्रतिशत* योगदान की तुलना में इन तीन क्षेत्रों में 52 सीपीएसई द्वारा 2017-18 के दौरान सीपीएसई के कुल लाभ के 71.83 *प्रतिशत* ₹ 1,19,379 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था।

23 सीपीएसई द्वारा ₹ 30,823 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था जो कि रक्षा, कोयला, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्यरत थे जो बाजार प्रतिस्पर्धा के लिए खोले नहीं गए थे। इससे 2017-18 के दौरान सभी 231 सीपीएसई में ₹ 166,197 करोड़ के कुल लाभ का 18.55 *प्रतिशत* हो गया था। 2017-18 में इन 23 सीपीएसई के आरओई प्रतिस्पर्धी परिस्थिति में कार्य कर रही 208 सीपीएसई में 11.71 *प्रतिशत* की तुलना में 29.05 *प्रतिशत* था।

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनिया में से, 117 कंपनियों ने ₹ 7,663 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। इन 117 सीपीएसई का आरओई, 2017-18 में 4.52 *प्रतिशत* था। 165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में आरओई 3.88 *प्रतिशत* था।

वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.11 में दी गई हैः

तालिका 1.11: ₹ 5,000 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21346
2	ऑयल एण्ड नैचुरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19945
3	एनटीपीसी लिमिटेड	10343
4	कोल इंडिया लिमिटेड	9293
5	पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8253
6	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7919
7	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6357
8	पॉवर फाईनैंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5855
	कुल	**89311**

यह देखा जा सकता है कि इन 8 सीपीएसई ने 2017-18 के दौरान 231 सीपीएसई द्वारा कुल अर्जित लाभ के 53.73 *प्रतिशत* का योगदान किया।

1.3.2 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई द्वारा घोषित लाभांश			
	सीपीएसई की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम	2	725	2858	862
सूचीबद्ध कंपनियां	40	72987	130088	58627
असूचीबद्ध कंपनियां	59	62821	19956	11073
कुल	**101**	**136533**	**152902**	**70562**

2017-18 में लाभांश की घोषणा करने वाले 101 सीपीएसई थे। इन सीपीएसई द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभांश 2016-17 में 51.87 *प्रतिशत* से घट कर 2017-18 में 42.46 *प्रतिशत* हो गया था, निरपेक्ष दृष्टि से, सीपीएसई द्वारा 2017-18 में घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 11,921 करोड़ की कमी हुई है। चार्ट-V। में अर्जित निवल लाभ की तुलना में घोषित लाभांश को दर्शाया गया है और

सीपीएसई को पूंजी का भुगतान किया गया जो पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित लाभांश था।

चार्ट VI: निवल लाभ और प्रदत्त पूँजी की तुलना में घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)

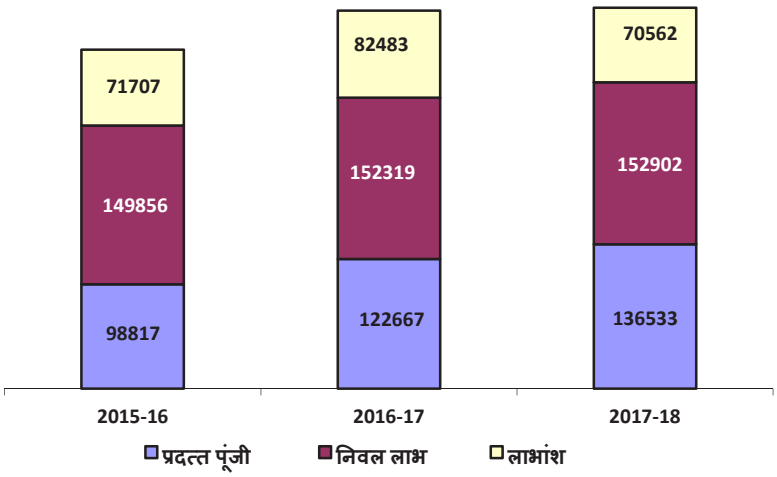

वर्ष 2017-18 के लिए 101 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 70,562 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत निवेश 86,365 करोड़ वाली 74 सीपीएसई से प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹ 42,229 करोड़ था (48.90 *प्रतिशत*)। 420 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹ 3,57,064 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 2016-17 के दौरान 14.67 *प्रतिशत* की तुलना में 11.83 *प्रतिशत* था। इसी प्रकार 35 सीपीएसई ने 2017-18 में अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर ₹ 25,230 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 11,580 करोड़ प्राप्त किए।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 14 सीपीएसई ने ₹ 28,859 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2017-18 में 101 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹ 70,562 करोड़ के कुल लाभांश का 40.90 *प्रतिशत* था।

मई 2016 में डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि प्रत्येक सीपीएसई, वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमत लाभांश के अध्यधीन, कर के पश्चात् लाभ के 30 प्रतिशत या निवल सम्पत्ति के 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, के वार्षिक लाभांश भुगतान करेगा। तथापि, 53 सीपीएसई (17 सूचीबद्ध सीपीएसई और 01 सांविधिक निगम सहित) ने सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश घोषित नहीं किया था,

जैसा कि ***परिशिष्ट-IV*** में दिया गया है। इसके कारण 2017-18 में इसके संबंध में कुल कमी ₹ 9,417.75 करोड़ थी।

165[19] सरकार नियंत्रित कंपनियों में से 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान 117 कंपनियों ने ₹7,663 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन 117 कंपनियों में से 47 ने ₹ 1,178 करोड़ की राशि का लाभांश घोषित किया जो ₹ 13,470 करोड़ की इसकी प्रदत्त पूंजी के 8.74 *प्रतिशत* का प्रतिनिधित्व करती थी। 47 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों जिन्होने 2017-18 के दौरान लाभांश घोषित किया था, का क्षेत्र वार वर्गीकरण तालिका 1.13 में दिया गया है:

तालिका 1.13: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
कोयला और लिग्नाइट	1	2188	146	22
अनुबंध और निर्माण सेवाएँ	2	250	230	23
वित्तीय सेवाएं	28	4495	2044	527
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्श	4	14	18	3
बीमा	1	1000	1150	200
पेट्रोलियम	4	777	182	81
विद्युत	4	4506	1073	281
दूरसंचार सेवाएं	1	35	45	2
ट्रेडिंग और मार्केटिंग	1	41	23	6
परिवहन सेवाएं	1	164	49	33
कुल	**47**	**13470**	**4960**	**1178**

1.3.3 सीपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल

इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई)[20] शेयरधारकों की इक्विटी के द्वारा निवल आय को विभाजित करके संगणना की गई कंपनियों के वित्तीय निष्पादन की एक माप है।

---

[19] *188-23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियां जिनके लेखे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से बकाया थे या समाप्त/परिसमाप्त के तहत या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे।*

[20] *इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद निवल लाभ)*100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + निर्वाध आरक्षित निधियां-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय)*

सीपीएसई क्षेत्र-वार आरओई जहां 2017-18 के दौरान क्षेत्र की कुल इक्विटी ₹ 10,000 करोड़ से अधिक है, को नीचे तालिका 1.14में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: ₹ 10000 करोड़ तथा अधिक की कुल इक्विटी के साथ क्षेत्रों की इक्विटी पर प्रतिफल

क्र. सं.	क्षेत्र	2015-16 के दौरान आरओई	2016-17 के दौरान आरओई	2017-18 के दौरान आरओई
1	पेट्रोलियम	12.06	13.72	13.40
2	विद्युत	9.41	9.31	9.81
3	परिवहन सेवाएं	-0.32	-1.08	-1.12
4	इश्योरेंस	3.20	0.52	3.66
5	वित्तीय सेवाएं	12.53	8.68	9.25
6	दूरसंचार सेवाएँ	-13.55	-7.93	-12.77
7	इस्पात	-6.91	-9.38	-3.88
8	खनिज औ रधातु	7.71	9.67	13.76
9	कोयला एवं लिग्नाइट	77.16	58.29	38.67
10	भारी उद्योग	-3.44	2.41	5.15
11	परिवहन उपकरण	14.71	18.67	15.24
12	संविदा एवं विनिर्माण सेवाएं	12.46	11.83	12.48

तालिका 1.15: एकाधिकार[21] वाली सीपीएसई और गैर-एकाधिकार वाली सीपीएसई के बीच आरओई की तुलना को दर्शाती है।

तालिका 1.15: सीपीएसई की इक्विटी पर प्रतिफल की एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिक की तुलना

वर्ष	एकाधिकार सीपीएसई		गैर-एकाधिकार सीपीएसई	
	सीपीएसई की संख्या	आरओई	सीपीएसई की संख्या	आरओई
2015-16	50	1.52	326	10.37
2016-17	53	1.87	346	9.72
2017-18	54	1.43	366	9.14

[21] *एकाधिकार बाजार संरचना का अर्थ है जो एक एकल विक्रेता की विशेषता को बताता है, जो बाजार में एक विशिष्ट उत्पाद विक्रय करते है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करते, चूंकि वह वस्तुओं का एकमात्र विक्रता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वगीकृत किया जाता है यदि भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, जिसमें यह संचालित होता है (अर्थात् कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन)।*

यह देखा जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-एकाधिकार वाले सीपीएसई की तुलना में एकाधिकार वाले सीपीएसई के आरओई महत्वपूर्ण रूप से कम था।

1.4 हानि उठाने वाले सीपीएसई

158 सीपीएसई को वर्ष 2017-18 के दौरान हानि हुई थी। इन सीपीएसई द्वारा 2016-17 के दौरान उठाई गई हानि ₹ 33,574 करोड़ से बढ़ कर 2017-18 में ₹ 41,420 करोड़ हो गई जिसका तालिका 1.16 में विवरण दिया गया है।

तालिका 1.16: 2017-18 के दौरान हानियां उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल सम्पत्ति[22] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2015-16	1	1143	0	13268
2016-17	1	907	0	12891
2017-18	1	847	0	12144
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2015-16	12	11830	30268	76207
2016-17	11	10168	28481	18253
2017-18	12	8292	40433	9146
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां/निगम				
2015-16	127	18696	72576	91953
2016-17	142	22499	79890	137640
2017-18	145	32281	90212	131401
जोड़				
2015-16	**140**	**31669**	**102844**	**181428**
2016-17	**154**	**33574**	**108371**	**168784**
2017-18	**158**	**41420**	**130645**	**152691**

158 सीपीएसई में कुल ₹ 41,420 करोड़ का घाटा हुआ जिसमे रक्षा, कोयला और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में कार्यरत 12 सीपीएसई द्वारा ₹ 6,239 करोड़ का योगदान था जोकि बाजार प्रतिस्पर्धा हेतु मुक्त नहीं थी।

---

[22] *निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी तथा मुक्त आरक्षित निधि तथा अधिशेष ककम संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय का कुल जोड। मुक्त आरक्षित निधि का अर्थ है लाभों तथा शेयर प्रीमियम लेखा में से सृजित सभी आरक्षितों परन्तु परिसम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन तथा मूल्यह्रास प्रावधान के प्रतिलेखन में से सृजित आरक्षितों को शामिल नहीं किया गया है।*

वर्ष 2017-18 के दौरान तालिका 1.17 में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा ₹ 1,000 करोड़[23] से अधिक की हानि वहन की गई।

तालिका 1.17: 2017-18 के दौरान ₹ 1,000 करोड़ से अधिक की हानि उठाने वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	8002
2	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3902
3	हिंदुस्तान फोटोफिल्मस (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	3402
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2973
5	ओएनजीसी पेट्रो एडीशन लिमिटेड	2219
6	नेशनल इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड	2171
7	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1391
8	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	1369
9	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1155
10	आईएफसीआई लिमिटेड	1009

165 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 46 कंपनियों को वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 960.57 करोड़ की हानि हुई।

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

31 मार्च 2018 तक 184 सीपीएसई जिनकी संचित हानि ₹ 1,42,309.28 करोड़ थी। वर्ष 2017-18 के दौरान 184 सीपीएसई में से 130 सीपीएसई ने ₹ 21,755.26 करोड़ की हानि वहन की तथा वर्ष 2017-18 में 54 सीपीएसई ने हानि नहीं उठाई थी यद्यपि उन्हें ₹ 11,664.68 करोड़ की संचित हानि हुई थी। 184 सीपीएसई में से 66 ठप्प होने/ समापन/ परिशोधन/ नीतिगत विनिवेश के अधीन थी।

184 सीपीएसई में से 77 की निवल संपत्ति संचित हानि द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और उनकी निवल संपत्ति या तो शून्य या नकारात्मक थी। इन 77 सीपीएसई की

[23] *2017-18 के लिए लेखाओं के रूप में इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए हुए अपने अंतिम लेखापरीक्षित लेखाओं से एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) के आकडों का सम्मिलित करते हुए 29 सीपीएसई के अंनतिम आंकड़े में कट-ऑफ तिथि से पहले अर्थात 30 सितम्बर 2018 में रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्राप्त नहीं हुए थे। तथापि, ₹ 5348 करोड़ कीनिवल हानि को इस प्रतिवेदन मे शामिल नहीं किया गया।*

निवल संपत्ति 31 मार्च 2018 को ₹ 40,155.73 करोड़ इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)83,122.38 करोड़ थी। इसमें छः सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल हैं जिनकी निवल संपत्ति ₹ 6,685.50 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति ₹ (-)32,606.92 करोड़ थी। 77 सीपीएसई जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी (शून्य अथवा नकारात्मक निवल सम्पत्ति होने पर), में से केवल 12 सीपीएसई ने 2017-18 के दौरान ₹ 1344.45 करोड़ का लाभ प्राप्त किया था। ***(परिशिष्ट-V)***

77 सीपीएसई में से 20, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी की बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2018 को ₹ 6,044.99 करोड़ थी। इसमें ₹ 1,877.34 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली दो सूचीबद्ध कम्पनियां शामिल है।

संभावित वित्तीय रूग्णता दर्शाते हुए 341 सीपीएसई, जिनकी निवल संपत्ति सकारात्मक थी, में से 25 सीपीएसई की निवल संपत्ति 31 मार्च 2018 के अंत में उनकी प्रदत्त पूंजी के आधे से कम थी।

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान 420 सीपीएसई में उत्पादन का मूल्य, कुल परिसम्पत्तियों तथा नियोजित पूंजी को दर्शाने वाला सार चार्ट VII में दिया गया है:

चार्ट VII: उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियां और नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)

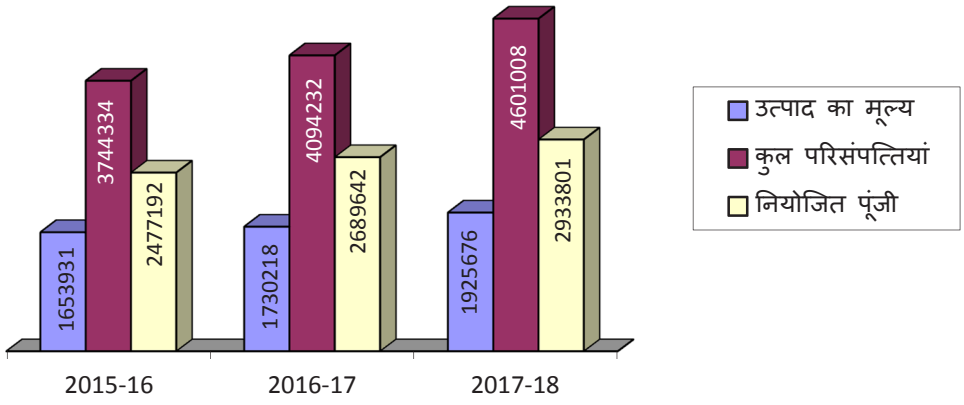

पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 में उत्पादन के मूल्य, कुल परिसम्पत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी।

1.5.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक ऐसा अनुपात है जो कंपनी को लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना नियोजित पूंजी[24] के द्वारा करो से पहले कंपनी की आय (ईबीआईटी) को विभाजित करके किया जाता है। 2015-16 से 2017-18 की अवधि के दौरान 420 सीपीएसई के आरओसीई के ब्यौरे तालिका 1.18 में नीचे दिये गए है:

तालिका 1.18: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2015-16	256353	2477192	10.35
2016-17	273720	2689642	10.18
2017-18	291093	2935631	9.92

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 420 सीपीएसई का आरओसीई सीमांत रूप से वर्ष 2016-17 की तुलना में कम था।

1.5.3 सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कंपनरियों के साथ निष्पादन

36[25] सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पाँच अनुपात मापदण्डों (इक्विटी पर रिटर्न, नियोजन पूंजी पर रिटर्न, प्रति शेयर अर्जन, मूल्य अर्जन अनुपात और ब्याज कवरेज अनुपात) पर समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों के साथ पिछले पाँच वर्षों 2013-14 से 2017-18 तक के लिए की गई। तुलना से निम्नलिखित परिणाम प्रकट हुए:

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 16 के संबंध में आरओई निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई ***(परिशिष्ट-VI)***।

---

[24] *नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी+निर्बाध आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घ अवधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय*

[25] *47 सीपीएसई में से जहाँ पिछले पांच वर्षों के दौरान शेयर सक्रिय थे, 11 सीपीएसई के मामले से समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियां सूचीबद्ध नहीं पाई गई। इसी वजह से तुलना हेतु 36 सीपीएसई पर विचार किया गया।*

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 15 के संबंध में आरओसीई निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशिष्ट-VII)***

प्रति शेयर अर्जन: यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 26 के संबंध में ईपीएस निम्न स्तर पर थी जैसा कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट- VIII)***

मूल्य अर्जन पी/ई अनुपात[26]: यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 29 के संबंध में पी/ई अनुपात निम्न स्तर पर था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट-IX)***

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर): यह देखा गया कि 36 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 17 के संबंध में आईसीआर निम्न स्तर पर थापिछले पाँच वर्षों के दौरान तीन या अधिक वर्षों के लिए समान प्रकृति के कामकाज वाली निजी कंपनियों से तुलना की गई। ***(परिशष्ट-X)***

छ: सीपीएसई के संबंध में, उपरोक्त सभी मापदंड पिछले सभी पाँच वर्षों के दौरान समान क्षेत्र वाली निजी कंपनियों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

1.5.4 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर रिटर्न

25 सीपीएसई के संबंध में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) को परिकलित किया गया है जो, इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य पर रिटर्न/ हानि की दर के आंकलन से आठ या आठ से अधिक वर्षों के लिए घाटे में है जैसा कि निवेश के ऐतिहासिक मूल्य से तुलना की गई है। निवेश की ऐतिहासिक लागत को 31 मार्च 2018 तक प्रति वर्ष के अंत में वर्तमान मूल्य के क्रम में लाने के लिए,

---

[26] *मूल्य अर्जन अनुपात (पी/ई अनुपात) कंपनी के निर्धारण का अनुपात है जो इसके वर्तमान शेयर मूल्य का इसके प्रति शेयर अर्जन के संबंध में मापन करता है। पी/ई अनुपात का मापन बाजार मूल्य प्रति शेयर/ अर्जन प्रति शेयर रूप होता है।*

इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व निवेश/ वर्ष वार लाई गई निधियां केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर वर्षवार भारित औसत ब्याज दर पर संयोजित हो गई है जोकि संबंधित वर्ष के लिए सरकार की निधियों की न्यूनतम लागत मानी गई है। सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश के पीवी को निम्नलिखित पूर्वानुमानों के आधार पर परिकलित किया गया:

- सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा इक्विटी ब्याज मुक्त ऋण के रूप में विस्तविक संचार के अतिरिक्त सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान/ परिचालन और प्रशासनिक खच्र के लिए यहायिका को भी केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी डालना माना गया है।
- उन मामलों में जहाँ सीपीएसई को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में इक्विट में परिवर्तित कर दिया गया, इक्वटी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटाकर उस वष्र की इक्विटी में जोड़ा गया।
- विनिवेश को वष्र के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय घटाया गया है।
- केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों पर संबंधित वित्त वर्ष[27] के लिए भारित औसत ब्याज दर को संयोजित दर के रूप में पूर्तमान मूल्य को प्राप्त करने हेतु अंगीकृत कया गया चूंकि वे सरकार द्वारा उस वर्ष के लिए निधियों के निवेश के लिए व्यय हुई लागत को प्रदर्शित करते हैं तथा इसलिए सरकार द्वारा किए निवेश पर रिटर्न की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में माना गया।
- केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना के उद्देश्य हेतु 2000-01 से शुरू 2017-18 तक की अवधि को, 31 मार्च 2000 तक 25 सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश को 2000-01 की शुरूआत में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में मानते हुए लिया गया है।

ऐसी घाटा वहन कर रही सीपीएसई के निष्पादन के अधिक उचित उपाय हानि के कारण निवल संपत्ति का क्षरण है। कंपनियों की पूंजी के क्षरण पर टिप्पणियां पैरा 1.4.1 में दी

[27] सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर को भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति बाजार पर रिपोर्ट/ सरकारी ऋण पर वित्त मंत्रालय के संघ स्थिति अध्ययन पत्र से लिया गया है।

गई है। चयनित सीपीएसई में केन्द्र सरकार के 2000-01 से 2017-18 तक इक्वटी, ब्याज मुक्त ऋण अनुदान/ सहायिकी रूप में निवेश तथा निविवेश का विवरण ***परिशिष्ट-XI*** में निर्दिष्ट है। सीपीएसई में ऐसे केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति तालिका 1.19 में निर्दिष्ट है।

तालिका 1.19: 2000-01 से 2017-18 तक केन्द्र सरकार के निवेश तथा सरकारी निधियों के वर्तमान मूल्य (पीवी) का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डाली गई इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदित ब्याज मुक्त ऋण	केन्द्र सरकार द्वारा परिपालन और प्रशासनिक खर्च को पूरा करने हेतु सहायता/ अनुदान	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8= (3+4+5-6-7)	9= (2+8)	10	11= 9{1+(10/100)}
2000-01	7592.65	469.75	107.99	240.07	0	0	817.81	8410.46	11.00	9335.611
2001-02	9335.611	166.75	28.8	55.56	0	0	251.11	9586.721	9.40	10487.87
2002-03	10487.87	181.43	77.47	15.2	0	0	274.1	10761.97	7.30	11547.59
2003-04	11547.59	328.07	299.62	14.38	249.62	0	392.45	11940.04	5.71	12621.82
2004-05	12621.82	440.91	15.33	572.45	0	0	1028.69	13650.51	6.11	14484.56
2005-06	14484.56	287.41	184.65	20.62	0	0	492.68	14977.24	7.34	16076.57
2006-07	16076.57	777.97	78.74	79.92	0	0	936.63	17013.2	7.89	18355.54
2007-08	18355.54	727.98	260.63	19.2	0	0	1007.81	19363.35	8.12	20935.65
2008-09	20935.65	1014.22	242.37	42.79	0	0	1299.38	22235.03	7.69	23944.9
2009-10	23944.9	2039.4	30.52	37.38	0	0	2107.3	26052.2	7.23	27935.77
2010-11	27935.77	2461.92	51.89	69.22	0	0	2583.03	30518.8	7.92	32935.89
2011-12	32935.89	1904.05	328.66	59.43	85.21	0	2206.93	35142.82	8.52	38136.99
2012-13	38136.99	6815.51	222.39	72.28	0	0.18	7110	45246.99	8.36	49029.64
2013-14	49029.64	6000.08	447.3	24.71	0	67.72	6404.37	55434.01	8.39	60084.92
2014-15	60084.92	3872.57	615.85	42.96	0	55.4	4475.98	64560.9	8.51	70055.03
2015-16	70055.03	7651.97	741.42	58.97	0	0	8452.36	78507.39	7.89	84701.62
2016-17	84701.62	5726.05	1353.83	317.48	101.78	0	7295.58	91997.2	7.16	98584.2
2017-18	98584.2	6796.23	190.4	17.42	0	0	7004.05	105588.3	6.98	**112958.3**
कुल		**47662.27**	**5277.86**	**1760.04**	**436.61**	**123.3**	**54140.26**			

इन कंपनियों में केन्द्र सरकार का शेष निवेश वर्ष 2000-01 में ₹ 7,592.65 करोड़ से बढ़कर 2017-18 के अंत में ₹ 54,140.26 करोड़ हो गया जैसा कि सरकार ने आगे ₹ 47,538.97 करोड़ की राशि इक्विटी (₹ 47,662.27 - ₹ 123.30), ₹ 4,841.25 करोड़ की राशि ब्याज मुक्त ऋण (₹ 5,277.86 - ₹ 436.61) और ₹ 1,760.04 करोड़ की राशि परिचालन और प्रशासनित खर्च को पूरा करने हेतु अनुदान/ आर्थिक सहायता स्वरूप निवेश की। 31 मार्च 2018 तक केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य को ₹ 1,12.958 करोड़ गिना गया। वर्ष 2017-18 के दौरान इन 25 कंपनियों द्वारा निवल अर्जन ₹ (-)21,145.73 करोड़ (₹ 526.32- ₹ 21,672.05 करोड़) था। इस प्रकार, कंपनियों में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की राशि ₹ 1,12,958.30 करोड़ के प्रति रिटर्न ऋणात्मक ₹ (-)21,145.73 करोड़ थी।

1.5.5 बिक्री एवं विपणन

2017-18 के दौरान, 420 सीपीएसई की कुल बिक्री ₹ 21,56,441 करोड़ थी। जैसा कि वर्ष 2016-17 के दौरान 402 सीपीएसई में ₹ 19,49,214 करोड़ से तुलना की गई। इनमें से 115 सीपीएसई ने सरकारी क्षेत्रों को उनकी ₹ 10,26,134 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 2,35,750 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। उनकी कुल निवल बिक्रियों के संदर्भ में सरकारी क्षेत्रों को इन 115 सीपीएसई की बिक्री की समग्र प्रतिशतता, 22.97 *प्रतिशत* बनती थी।

52 सीपीएसई थे जिन्होंने ₹ 73,620 करोड़ मूल्य की माल सेवाओं का निर्यात किया था। (यह उनकी ₹ 12,12,266 करोड़ की कुल निवल बिक्री राशि का 6.07 *प्रतिशत* था।)। जिसके प्रति इन सीपीएसई द्वारा कुल आयात ₹ 2,72,037 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,98,417 कर निवल आयात रहा (2016-17 में ₹ 2,30,895 करोड़)।

420 सीपीएसई द्वारा की गई ₹ 21,56,441 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति 52 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 3.41 *प्रतिशत* थी। ₹ 5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई तालिका 1.20 में दिए गए है:

तालिका 1.20: 2017-18 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ से अधिक के निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	24353
2	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	16996
3	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	7799
जोड़		**49148**

इन चार सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी सीपीएसई के कुल निर्यात का 66.76 *प्रतिशत* है।